

2485

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-9) विभाग

क्रमांक-प.1(9)गृह-9/2007

जयपुर, दिनांक : 04-06-2009

अधिसूचना

आयुध नियम, 1962 की अनुसूचि II की मद संख्या 4 के सामने के स्तम्भ संख्या 5 और 7 की प्रविष्टियों के साथ पठित नियम 4 के अनुसरण में राज्य सरकार, समस्त उपखण्ड अधिकारियों को, उक्त नियमों की अनुसूचि I की प्रविष्टि III (घ) में विनिर्दिष्ट टोपीदार बन्दूकों के लिए अपनी अधिकारिता की तहसील के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने और नवीनीकृत करने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, इसके द्वारा, सशक्त करती है। उक्त अनुज्ञापत्रों पर अन्य किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र दर्ज नहीं किया जावेगा।

07/14
9/1/09

राज्यपाल के आदेश से,



(एस.एन. थानवी)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस रेंजेज, राजस्थान।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट्स, राजस्थान।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।

2
उप शासन सचिव,
गृह (सुरक्षा) विभाग

6/1/09
9-6